साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 49 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 9 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जलवायु संकट- 500 से अधिक पक्षी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर

बर्कशायर इंग्लैंड के बर्कशायर स्थित रीडिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और आवास की कमी के कारण अगली सदी में 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के विलुप्त होने के आसार हैं।

अध्ययन में खतरे की गंभीरता को लेकर इशारा किया गया है, यह खुलासा करते हुए कि यह संख्या 1500 ई. के बाद से दर्ज सभी पक्षियों की विलुप्तियों से तीन गुना अधिक है। अध्ययन में खतरे की गंभीरता को लेकर इशारा किया गया है, यह खुलासा करते हुए कि यह संख्या 1500 ई. के बाद से दर्ज सभी पक्षियों की विलुप्तियों से तीन गुना अधिक है। बारे-नेक्ड अम्ब्रेला बर्ड और हेलमेटेड हॉर्नबिल जैसी अहम प्रजातियां खतरे में हैं। इनके गायब होने से, इनके द्वारा किए जाने वाले जरूरी कार्यों के लिए इन पक्षियों पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

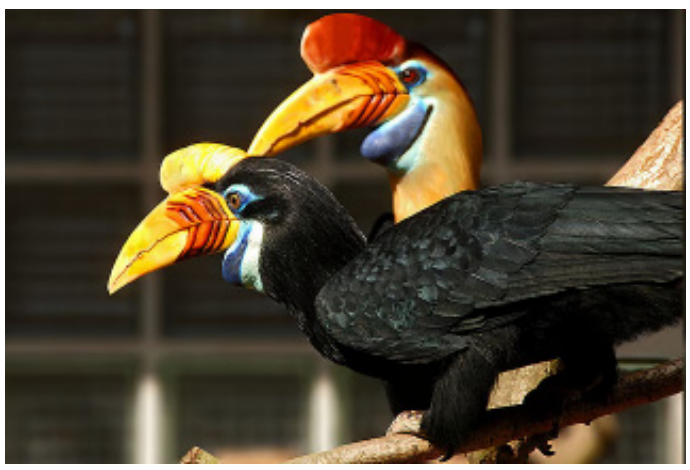

नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि आवास के नष्ट होने, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे मानवजनित खतरों को खत्म करने से भी पक्षियों के विलुप्त होने को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकेगा। अध्ययन में खतरे की गंभीरता को लेकर इशारा किया गया है, यह खुलासा करते हुए कि यह संख्या 1500 ई. के बाद से दर्ज सभी पक्षियों की विलुप्तियों से तीन गुना अधिक है। अध्ययन में अध्ययनकर्ता के हवाले से कहा गया है कि कई पक्षी पहले से बहुत ज्यादा खतरे में हैं, उन्हें केवल मानवजनित प्रभावों को कम करने से बचाया नहीं जा सकता। इन प्रजातियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन परियोजनाओं और आवास बहाली जैसे विशेष दोबारा हासिल करने वाले कार्यक्रमों की जरूरत है। अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची के आंकड़ों का उपयोग करके लगभग 10,000 पक्षी प्रजातियों की जांच-पड़ताल की गई, यह पाया गया कि बड़े पक्षी शिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जबकि चौड़े पंख वाले पक्षी आवास के नुकसान से अधिक प्रभावित होते हैं। अध्ययन में खतरे की गंभीरता को लेकर इशारा किया गया है, यह खुलासा करते हुए कि यह संख्या 1500 ई. के बाद से दर्ज सभी पक्षियों की विलुप्तियों से तीन गुना अधिक है। अध्ययन में कहा गया है कि आधुनिक समय में पक्षियों की भारी विलुप्ति का संकट है। सुझाव के तौर पर आवासों में मानवजनित खतरों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। सबसे अनोखी और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बचाव कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। अध्ययन में अध्ययनकर्ता के हवाले से कहा गया है कि अतिरिक्त संरक्षण प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें अगली सदी तक जीवित रहना है तो खतरों को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, 250 से 350 प्रजातियों को प्रजनन कार्यक्रम और आवास बहाली जैसे संरक्षण उपायों की जरूरत पड़ेगी। अध्ययन में खतरे की गंभीरता को लेकर इशारा किया गया है, यह खुलासा करते हुए कि यह संख्या 1500 ई. के बाद से दर्ज सभी पक्षियों की विलुप्तियों से तीन गुना अधिक है। सबसे असामान्य पक्षियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने से पक्षियों के आकार और अहम विविधता को संरक्षित किया जा सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अध्ययन के मुताबिक, आवास विनाश को रोकने से कुल मिलाकर सबसे बड़ी संख्या में पक्षियों को बचाया जा सकेगा। हालांकि शिकार को कम करना और आकस्मिक मौतों को रोकना पक्षियों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि विलुप्ति के संकट को कम करने और इन पक्षी प्रजातियों द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक और तेज संरक्षण रणनीतियों की जरूरत है।

ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नॉलेज शेयरिंग के लिये आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, मेनिट एवं सीपीआरआई से भागीदारी की शुरुआत

इंदौर (एजेंसी) ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नॉलेज शेयरिंग के लिये आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, मेनिट एवं सीपीआरआई से भागीदारी की शुरुआत की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई की उपस्थिति में गुरुवार को इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किये।

सम्मेलन में ऊर्जा कम्पनियों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने, वितरण नेटवर्क की योजना एवं ग्रिड स्थिरता, नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के इनवर्टर से रिएक्टिव पॉवर क्षतिपूर्ति, कृषि आधारित पम्प लोड एवं मौसमी मांग पूर्वानुमान, क्षति पहचान एवं मांग विश्लेषण के लिये डेटा एनालिसिस, आउटेज पूर्वानुमान और सम्पत्ति प्रबंधन के लिये एआई के उपयोग के संबंध में गहन विचार-विमर्श हुआ। प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त अनुसंधान, फील्ड स्टडी और तकनीकी परियोजनाओं में काम करने में रुचि जताई। यह सम्मेलन बिजली वितरण क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव, शैक्षणिक ज्ञान और अनुसंधान क्षमताओं को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में एमडी एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी श्री अविनाश लवानिया और एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री क्षितिज सिंघल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

जल गंगा संवर्धन अभियान

इंदौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान व्यापक सहभागिता से बना जन आंदोलन

अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के हुए हजारों कार्य

इन्दौर (नगर प्रतिनिधि)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा पर प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान का इंदौर जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान इंदौर जिले में व्यापक जनभागीदारी से जन-आंदोलन बन गया है। जिले में जल संग्रहण, जल संरक्षण और संवर्धन के हजारों कार्य प्रारंभ हो गये है। अभियान के तहत जहां एक और पूराने कुएं, बावड़ी और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नए तालाब बनाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। उक्त कार्यों में से अनेक कार्य पूर्ण हो गये है। जिले में खेत-खेत में भी तालाब बनाये जा रहे है। वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी बड़े स्तर पर हाथ में लिया गया है।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में इस अभियान का जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान इन्दौर में ख्याति प्राप्त कर चुका है। इंदौर में हुए उल्लेखनीय कार्य के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय जल प्रहरी अवार्ड प्राप्त हुआ। यह अवार्ड मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव को प्रदान किया। वर्तमान में इन्दौर जिले में जल गंगा अभियान के अन्तर्गत 645 खेत तालाब, 936 डग वेल रिचार्ज, 63 बावड़ी एवं चेकडेम जीर्णोद्धार, 5000 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के साथ 12 अमृत सरोवर पर कार्य हो रहा है, जिसमें अधिकांश कार्य शुरू होकर प्रगति पर है। अनेक कार्य पूर्ण भी हो गये है। पिछले वर्ष 2024 में जिले में 101 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। इन्दौर जिले के 43 ग्राम पंचायतों में तालाबों का गहरीकरण कार्य किया जा रहा ।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को 5 वर्ष की सजा

इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिये मध्यप्रदेश वन विभाग को दी बधाई

भोपाल (एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में वन एवं वन्य-जीव संरक्षण के लिये किये जा रहे समग्र प्रयासों के अंतर्गत वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा, जो मूल रूप से तिब्बत का निवासी है, जिसे 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 25 जनवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत-नेपाल के पास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। स्टेट टाइगर फोर्स द्वारा की गयी सटीक विवेचना एवं न्यायालय में रखे गये ठोस पक्ष के आधार पर आरोपी शेरपा को 9 मई, 2025 को 5 वर्ष की सजा दी गयी।

इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस से जारी पत्र में मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा के सफलतापूर्वक अभियोजन पूर्ण कर सजा दिलवाने की उत्कृष्ट कार्रवाई के लिये बधाई-पत्र भेजा है। इंटरपोल जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी नियंत्रण पुलिस संगठन कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। यह पूरे विश्व में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। मध्यप्रदेश वन विभाग ने स्टेट टाइगर फोर्स का गठन केन्द्र शासन के निर्देश पर वन्य-जीवों की तस्करी की रोकथाम के लिये किया है। स्टेट टाइगर फोर्स ने विगत कुछ वर्षों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इससे पहले भी इंटरपोल द्वारा 3 बार एसटीएसएफ के कार्यों की सराहना की जा चुकी है। अपराधी ताशी शेरपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। जुलाई-2024 में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ताशी शेरपा की जमानत याचिका को खारिज कर ट्रॉयल कोर्ट नर्मदापुरम को एक वर्ष के भीतर ट्रॉयल पूरा करने का निर्देश दिया था। स्टेट टाइगर फोर्स ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए ताशी शेरपा की ब्रेन-मेपिंग और पॉलीग्राफी परीक्षण करवाया, जिससे उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त साइबर डेटा भी एकत्र कर न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किये गये। देश का यह पहला मामला है, जिसमें बाघ शिकारियों, कुरियर, बिचौलियों और तस्करों सहित 28 अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सभी दोषी ठहराये गये। उक्त प्रकरण में एक सरगना जेई तमांग उर्फ पसांग लिमी फरार है। तमांग के विरुद्ध इंटरपोल द्वारा रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया। इंटरपोल द्वारा उक्त पत्र में वांछित विदेशी बाघ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई में मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर फोर्स की सहायता प्रदान करने का लेख है। इस प्रकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

वनवासियों के कल्याण के लिए करें सभी प्रबंध - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सरकार वनवासियों के साथ है, यह भावना जन जन तक जानी चाहिए

दुग्ध उत्पादन के जरिए जनजातीय भाई-बहनों की बढ़ाएं नकद आय

पेसा मोबालाईजर की नियुक्ति के अधिकार अब ग्राम सभाओं को देगी सरकार

भोपाल (एजेंसी) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्नेह का बंधन एकतरफा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार हर पल वनवासियों के साथ खड़ी है, यह बात पूरी शिद्दत से उन तक पहुंचनी चाहिए। सभी वनवासियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ें और उनके जीवन में विकास का प्रकाश लाने की दिशा में काम करें। वनवासियों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग के अध्ययनरत एवं रोजगार कर रहे बच्चों का सामाजिक सम्मेलन बुलाएं। इस सम्मेलन के जरिए सरकार इन बच्चों को उन तक पहुंचने वाले लाभ का फीड-बैक भी लेगी और जिन्हें जरूरत है, उन तक सरकार की योजनाएं तथा सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स की शीर्ष समिति तथा इसी विषय के लिए गठित

कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय कार्य एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को वनाधिकार के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का तेजी से निराकरण कर 31 दिसंबर 2025 तक पेंडेसी जीरो करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पेसा एक्ट यानि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 लागू है। इसमें पेसा मोबालाईजर्स के जरिए जनजातियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर योजनाओं से लाभान्वित भी कराया जाता है। इन सभी पेसा मोबालाईजर्स की अपने काम पर उपस्थिति और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन फील्ड में दिखाई भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेसा मोबालाईजर्स को नियुक्त करने और संतोषजनक प्रदर्शन न करने पर इन्हें हटाने के अधिकार सरकार अब ग्राम सभाओं को देने जा रही है।इस निर्णय से एकरूपता आएगी और ग्राम सभाएं पेसा मोबालाईजर्स से अपने मुताबिक काम भी ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनवासियों की बेहतरी के लिए संकल्पित है। उनके सभी हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग का मैदानी अमला यह सुनिश्चित करे कि वन भूमि पर अब कोई भी नये अतिक्रमण कदापि न होने पाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार के %जलयुक्त शिविर% अभियान की तरह समन्वय पर आधारित मॉडल मध्यप्रदेश में भी अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों द्वारा इस अधिनियम के अमल के लिए की जा रही कार्यवाही के सभी पहलुओं का अध्ययन कर लें और जो सबसे उपयुक्त है उसी मॉडल पर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए विधायकों द्वारा विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। वनाधिकार अधिनियम और पेसा कानून के अमल के लिए समुचित प्रावधान भी इसी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार क्रमबद्ध रूप से विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों और अन्य जनजातीय बहुल गांव, मजरों-टोलों तक सड़कों का निर्माण कर रही है। ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजना में पेसा कोष की राशि खर्च करने का अधिकार भी संबंधित पेसा ग्राम सभा को दिया जा रहा है।

बैठक में समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक श्री भगत सिंह नेताम ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी अमल के लिए बालाघाट जिले में पुलिस विभाग द्वारा सभी पुलिस चौकियों में एकल सुविधा केन्द्र स्थापित कर इसके जरिए कैम्प लगाकर जनजातियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 450 वनाधिकार दावे भरवाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 88 जनजातीय विकासखंडों वाले जिलों के कलेक्टर को बालाघाट मॉडल भेजकर इसी अनुरूप कार्यवाही करने के लिए कहा जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्र के सभी गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव दिए जाएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य एक्शन प्लान बनाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर 2025 तक सभी गांवों के दावे प्राप्त कर लें और इसी दौरान इनका निराकरण भी कर लें। वन अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई तकनीकी परेशानी आ रही है तो इसके लिए वन और जनजातीय कार्य विभाग मिलकर एक नया पोर्टल भी विकसित कर लें।

वनांचल विकास केन्द्र को करें और अधिक सक्रिय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातियों के पारम्परिक ज्ञान को उनके विकास के लिए बनाई जा रही नीति निर्माण में भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को और भी सशक्त बनाने, सामुदायिक वन संसाधनों के समुचित प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण और वन एवं वनोपज संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए वन/वनांचल विकास केन्द्रों को और अधिक भी सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये केंद्र वन अनुसंधान, प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर/कैम्पा जैसे वित्त स्त्रोतों के समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी अदा करें।

खेतिया के निकट बायगोर जंगल में दिखाई दिया गिद्धों का झुंड

खेतिया (संवाददाता द्वारा) खेतिया के निकट बायगोर के घने जंगलों में वनरक्षक राकेश ठाकुर ने इस क्षेत्र में पहली बार गिद्ध की मौजूदगी दर्ज की है। गिद्धों की संया पूरे भारत में लगातार घटती जा रही है। ऐसे में किसी नए क्षेत्र में इनकी उपस्थिति का पता चलना वन्यजीव वैज्ञानिकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए उत्साहजनक खबर है। वन विभाग के अनुसार ये पहला अवसर है। जब बायगोर के जंगलों में गिद्ध को देखा गया है। ये खोज आगे चलकर इस क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं को भी जन्म दे सकती है। वनरक्षक राकेश ठाकुर ने बताया कि उन्होंने जंगल में गश्त के दौरान बड़े बड़े पंख से उड़ता गिद्ध को देखा और उसकी तस्वीरें भी लीं। पेड़ पर गिद्ध का झुंड होने पर उनकी फोटो क्लिक कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों को जिओ टगिंग के साथ भेज जिन्होंने दुर्लभ प्रजाति के लांग बिल्ड वैल्चर (गिद्ध) होने की पुष्टि की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करनपुरा बीट में गिद्ध का बड़ा सा झुंड होने की सूचना पर गिद्ध के झुंड की निगरानी के निर्देश दिए है। वन कर्मचारी आसपास की चट्टानों में इनके आवास का पता लगा रहे। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही कि गिद्ध का झुंड भोजन, प्रजनन के लिए यहां आया है या स्थायी रूप से इस क्षेत्र को आवास बनाया है।

प्रदेश में पहली बार पौधरोपण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का किया जाएगा उपयोग

ऐप के माध्यम से महिला हितग्राहियों का होगा चयन

15 अगस्त से एक बगिया माँ के नाम अंतर्गत शुरू होगा पौधरोपण

स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर विकसित की जाएगी फलोद्यान बगिया

भोपाल (एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक बगिया मां के नाम परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया विकसित की जाएगी। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब अत्याधुनिक तरीके पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। ऐप के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मनरेगा परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं।

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने वाली आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की महिला का चयन एक बगिया मां के नाम ऐप से किया जाएगा। मनरेगा परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ऐप का निर्माण किया गया है। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन नहीं किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति, पिता, ससुर और पुत्र की भूमि पर सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जाएगा। एक बगिया माँ के नाम'' परियोजना अंतर्गत प्रदेश की 30 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक तरक?की का आधार बनेंगे। परियोजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पौधे, खाद और गड्?ढे

खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी।

एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनमत 100 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। चयनित पात्र महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण महिलाओं को वर्ष में दो बार दिया जाएगा। एक बगिया माँ के नाम'' परियोजना अंतर्गत पौधरोपण के लिए जमीन का चयन वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया जाएगा। जमीन चिन्हित होने के बाद सॉफ्टवेयर से भूमि का परीक्षण किया जाएगा। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयुक्त है। पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा। सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का स्त्रोत कहां उपलब्ध है। जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम आधा एकड़ या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

प्रति 25 एकड़ पर एक कृषि सखी होगी नियुक्त

फलोद्यान की बगिया लगाने के लिए चयनित हितग्राहियों की सहायता के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएगी। ये कृषि सखी हितग्राहियों को खाद, पानी, कीटों की रोकथाम, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार कराने और अंतर्वर्तीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी देगी। प्रत्येक 25 एकड़ के फलदार पौधरोपण पर एक कृषि सखी नियुक्त होगी।

ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से होगी निगरानी, पर्यवेक्षण के लिए बनाया जाएगा डेश बोर्ड

पौधरोपण का कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पौधे कहा पर लगे है या नहीं। इसकी ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से निगरानी भी की जाएगी। मनरेगा परिषद द्वारा पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत धार जिले की जनपद पंचायत बाग के ग्राम पंचायत बाग, बाणदा, घोटियादेव, पिपरियापानी, झाबा, चिकापोटी में इसका परीक्षण भी हो गया है। पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डेश बोर्ड भी बनाया जाएगा। साथ ही प्रदर्शन के आधार पर प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत एवं 25 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

15 जुलाई तक किया जाएगा हितग्राहियों का चयन

एक बगिया मां के नाम परियोजना के लिए पात्र महिला हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। हितग्राही की भूमि का स्थल निरीक्षण उसका भौतिक सत्यापन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति का कार्य 25 जुलाई तक किया जाएगा। पौधरोपण के लिए गड्?ढे की खुदाई, तार फेंसिंग सहित पौधरोपण से संबंधित अन्य तैयारियां 14 अगस्त तक की जाएंगी। अभियान के रूप में पौधरोपण का कार्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा।

वृक्षारोपण में आमजनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाय -उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल (एजेंसी)उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने राजनिवास सर्किट हाउस रीवा में वृहद वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा को हराभरा बनाने के लिये चयनित स्थलों में एक लाख पौधे लगाये जायेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने वृक्षारोपण से पूर्व की सभी तैयारियाँ पूर्ण करने तथा आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चयनित किये गये स्थलों में व्यापक पैमाने पर छायादार, फलदार औषधीय पौधों का वृक्षारोपण करते हुए सड़क के किनारे भी वृक्षारोपण करें तथा पूर्व के रोपित पौधों के रिक्त भूमि में भी वृक्षारोपण कर गैप फिलिंग करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि व्यापक पैमाने पर किये गये वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलित होगा तथा सड़क के किनारे किये गये वृक्षारोपण से शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर(म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008